फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट | **बनाम** | **अप्र**

श्री घीसूलाल मेघवाल
जाति मेघवाल
निवासी बी–48 सेक्टर–15 नोयडा
उत्तरप्रदेश।

सरकार जरिः
अतिरिक्त ि

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचन अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उप से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्व अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 19.05.2022 पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर काय दिनांक 25.04.2022 को एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें त सिरोही से जारी मूल निवास प्रमाण पत्रों की शासकीय मान्यता / शा अनदेखी पर विकास अधिकारी पं.स. सिरोही पर सख्त दण्डात्मक का जारी कराने हेतु विषयांकित है, उक्त पत्र पर जिला कलक्टर कार्यालय की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं राज. दर्ज परिवाद सं. 112136311389061 दिनांक 21.11.2021 के सन्दर्भ में पं.स. सिरोही द्वारा जारी रिपोर्ट एवं शपथ पत्र की सत्यापित प्रति से लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा किये है । अपीलांट द्वारा लोक अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 19.05.2022 को एक निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय f 25.04.2022 को एक पत्र प्रेषित किया गया था, जो तहसील कार्याल मूल निवास प्रमाण पत्रों की शासकीय मान्यता / शासन स्वीकृति विकास अधिकारी पं.स. सिरोही पर सख्त दण्डात्मक कार्यवाही का हेतु विषयांकित है, उक्त पत्र पर जिला कलक्टर कार्यालय सिरोह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner